रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-बी.आर.-अ.-27102023-249762
CG-BR-E-27102023-249762

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 729] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 25, 2023/कार्तिक 3, 1945
No. 729] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2023/KARTIKA 3, 1945

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय

(कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

समस्तीपुर, 16 अगस्त, 2023

अध्यादेश

क्रमांक : 408**/डॉ.रा.प्र.के.कृ.वि.(भी.सी.), पूसा.**—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के दिनांक 28.10.2021 को सम्पन्न हुई 16वीं प्रबंध बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के विद्यार्थियों के निवास की शर्तों को लेकर पत्रांक 5-42/2021-सीएयू (ई-4658), दिनांक 31 जुलाई, 2023 के द्वारा अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अधिनियम, 2016 (2016 का 32) के खंड - 28(1) की उप-खंड (h) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) की पिछली मंजूरी के साथ ही मैं, कुलपति, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, एतद्‌द्वारा प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के विद्यार्थियों के निवास की शर्तों को निम्नानुसार अधिसूचित करता हूँ :-

1. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा आवासीय विश्वविद्यालय होगा ।
2. विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र विश्वविद्यालय के छात्रावास या विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित एवं प्रबंधित ऐसे ही अन्य आवास में रहेगा ।
3. इस अध्यादेश के पैरा - 1 और 2 में किसी भी बात के रहते हुए भी छात्र को विशेष परिस्थितियों में उसके माता-पिता/अभिभावक के लिखित अनुरोध एवं निदेशक, छात्र कल्याण/महाविद्यालयों के अधिष्ठाता की अनुशंसा पर उसे छात्रावास के बाहर महाविद्यालय से उचित दूरी पर अपने माता-पिता/अभिभावक के साथ रहने की अनुमति दी जा सकती है।
4. अन्य शर्तें विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विनियमों में निर्धारित की जाएंगी।

पुन्यव्रत सुविमलेन्दु पाण्डे, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./510/2023-24]

Dr. RAJENDRA PRASAD CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY

(Department of Agricultural Research and Education)

NOTIFICATION

Samastipur, the 16th August, 2023

ORDINANCE

No. 408/DRPCAU (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education as per resolution passed by the Board of Management in its 16th meeting held on 28.10.2021 has approved to make an Ordinance regarding the conditions of residence of students of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa vide No. 5-42/2021-CAU (e-4658) dated 31st July, 2023.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (h) of Section 28 (1) of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 (32 of 2016) and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa do hereby make the first Ordinance and notify the conditions of residence of the students of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa as follows:

1. The Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa shall be a residential University.
2. Every student of the University shall reside in a Hostel of the University or in such other accommodation required and managed by the University.
3. Notwithstanding anything contained in para1 and 2 of this Ordinance, a student may be allowed by the Director, Students Welfare/Dean of the Colleges to stay outside the hostel with his/her parent/guardian under special circumstances and on a specific written request of the parent/guardian provided the place is within a reasonable distance from the college where the student is residing.
4. Others conditions shall be as prescribed in the Academic Regulations of the University.

PUNYAVRAT SUVIMALENDU PANDEY, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./510/2023-24]

अधिसूचना

समस्तीपुर, 16 अगस्त, 2023

अध्यादेश

क्रमांक : 409**/डॉ.रा.प्र.के.कृ.वि.(वी.सी.), पूसा.**—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के दिनांक 28.10.2021 को सम्पन्न हुई 16वीं प्रबंध बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के कर्मचारियों, जिनके लिए डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के परिनियम में प्रावधान हैं, के अतिरिक्त, अन्य कर्मचारियों के नियुक्ति एवं परिलब्धियों के सबंध में पत्रांक 5-42/2021-सीएयू (ई-4658), दिनांक 31 जुलाई, 2023 के द्वारा अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है, जो निम्नवत है :-

1. शैक्षणिक कर्मियों की नियुक्ति की विस्तृत प्रक्रिया पहले ही राजपत्र अधिसूचना संख्या 81/आर.पी.सी.ए.यू. दिनांक 15.9.2017 के माध्यम से अधिसूचित हो चूकी है, (सेवा एवं नियुक्ति नियमावली (शैक्षणिक कर्मचारी), 2017), जो की लागू है।
2. शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति की विस्तृत प्रक्रिया पहले ही राजपत्र अधिसूचना संख्या 82/आर.पी.सी.ए.यू. दिनांक 15.9.2017 के माध्यम से अधिसूचित हो चूकी है, (सेवा एवं नियुक्ति नियमावली शिक्षकेत्तर कर्मचारी), 2017), जो की लागू है।
3. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का वेतनमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा सम्बद्ध विभिन्न वित्तीय एजेंसियों की पूर्वानुमति से प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
4. नियत परिलब्धियों पर बहाल कर्मियों जैसे सलाहकार/एड्जन्क्ट फैकल्टी/स्कॉलर इन रेजिडेंस इत्यादि की परिलब्धियाँ प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय किया जाएगा।

अतः, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अधिनियम, 2016 (2016 का 32) के खंड - 28(1) की उप-खंड (j) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) की पिछली मंजूरी के साथ ही मैं, कुलपति, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, एतद्द्वारा प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के कर्मचारियों, जिनके लिए डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के परिनियम में प्रावधान हैं, के अतिरिक्त, अन्य कर्मचारियों के नियुक्ति एवं परिलब्धियों की उपरोक्त प्रक्रिया को अधिसूचित करता हूँ ।

पुन्यव्रत सुविमलेन्दु पाण्डेय, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./510/2023-24]

NOTIFICATION

Samastipur, the 16th August, 2023

ORDINANCE

No. 409/DRPCAU (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education as per resolution passed by the Board of Management in its 16th meeting held on 28.10.2021 has approved to make an Ordinance regarding the appointment and emoluments of employees other than those for whom provisions has been made in the Statutes of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusavide No. 5-42/2021-CAU (e-4658) dated 31st July, 2023 as under:

1. The detail procedure for appointment of teaching employees has already been notified vides Gazette Notification No. 81/RPCAU dated 15.9.2017 (Service and Recruitment Rules (Teaching Employees), 2017 which is in operation.
2. The detail procedures for appointment of nonteaching employees have already been notified vide Gazette Notification No. 82/RPCAU dated 15.9.2017 (Service and Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2017 which is in operation.
3. The scale of pay of employees of the University shall be as prescribed by the Board of Management with prior approval of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agricultural Research and Education, Government of India, New Delhi and various financial agencies involved.
4. The emoluments of those employees who will be appointed on fixed emoluments like Consultants/Adjunct faculty/Scholar-on-residence etc. shall be as fixed by the Board of Management from time to time.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (j) of Section 28 (1) of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 (32 of 2016) and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa do hereby make the first Ordinance and notify the procedure of appointment and emoluments of employees other than those for whom provisions has been made in the Statutes in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa as above.

PUNYAVRAT SUVIMALENDU PANDEY, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./510/2023-24]

अधिसूचना

समस्तीपुर, 16 अगस्त, 2023

अध्यादेश

क्रमांक : 410**/डॉ.रा.प्र.के.कृ.वि.(भी.सी.), पूसा.—**कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के दिनांक 28.10.2021 को सम्पन्न हुई 16वीं प्रबंध बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में विशेष केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाएँ और अन्य समितियों की स्थापना के संबंध में पत्रांक 5-42/2021-सीएयू (ई-4658), दिनांक 31 जुलाई, 2023 के द्वारा अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है, जो निम्नवत है :-

विश्वविद्यालय, कृषि एवं संबद्ध विज्ञान के उभरते क्षेत्रों में शिक्षण एवं अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष उत्कृष्टता केंद्र, विशिष्ट प्रयोगशालाएँ, एवं उच्च अध्ययन केंद्र स्थापित कर सकता है।

शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यों में कार्यात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय को प्रयोगशाला/ कर्मशाला/कंप्यूटिंग सुविधाएँ जैसी आधुनिक आधारभूत सुविधाओं से लैस किया जा सकता है।

ऐसे सभी प्रस्ताव संबंधित विभागों द्वारा तैयार किए जाएंगे और विद्वत परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ, कुलपति/निदेशक (शिक्षा) को भेजे जाएंगे। प्रस्ताव पर विद्वत परिषद के मंजूरी के उपरान्त उसे प्रबंध बोर्ड के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ अग्रेषित किया जाना चाहिए।

अतः, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अधिनियम, 2016 (2016 का 32) के खंड - 28(1) की उप-खंड (k) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) की पिछली मंजूरी के साथ ही मैं, कुलपति, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, एतद्द्वारा प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में विशेष केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाएँ और अन्य समितियों की स्थापना के प्रावधान को जैसा की उपरोक्त विदित है, को अधिसूचित करता हूँ ।

पुन्यव्रत सुविमलेन्दु पाण्डेय, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./510/2023-24]

NOTIFICATION

Samastipur, the 16th August, 2023

ORDINANCE

No. 410/DRPCAU (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education as per resolution passed by the Board of Management in its 16th meeting held on 28.10.2021 has approved to make an Ordinance regarding the establishment of special centres, specialized laboratories and other Committees in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusavide No. 5-42/2021-CAU (e-4658) dated 31st July, 2023 as under:

The University may establish Special Centers Specialized Laboratories, Centre of Excellence, Centre of Advanced Studies etc. from time to time to promote teaching and excellence in research by supporting research programme in emerging areas in Agriculture and allied Sciences.

The University may equip with the modern infra-structural facilities in Laboratory/Workshop/Computing facilities to enhance functional efficiency for teaching, training and research purposes.

All such proposals shall be prepared by the respective Departments and be forwarded to the Vice-Chancellor/Director of Education for considerations and approval from the Academic Council. If the Council approves the same then the proposal should be forwarded to the Board of Management for its considerations and approval.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (k) of Section 28(1) of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 (32 of 2016) and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa do hereby make the first Ordinance and notify the provision of establishment of Special Centres, Specialized Laboratories in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa as above.

PUNYAVRAT SUVIMALENDU PANDEY, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./510/2023-24]

अधिसूचना

समस्तीपुर, 16 अगस्त, 2023

अध्यादेश

क्रमांक : 411/डॉ.रा.प्र.के.कृ.वि.(वी.सी.), पूसा.—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के दिनांक 28.10.2021 को सम्पन्न हुई 16वीं प्रबंध बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में विद्वान निकायों या संघों सहित अन्य विश्वविद्यालयों एवं प्राधिकरणों के साथ सहयोग के तरीकों से संबंधित पत्रांक 5-42/2021-सीएयू (ई-4658), दिनांक 31 जुलाई, 2023 के द्वारा अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है, जो निम्नवत है :-

विद्वान निकायों या संघों सहित अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ सहयोग एवं सहयोग का तरीका :

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के परिनियम-2016 की धारा-42 के अन्तर्गत निम्न प्रावधानों को उल्लेखित किया गया है :-

"विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार होगा कि वह सहयोगात्मक स्नातकोत्तर अनुसंधान कार्यक्रम के संचालन हेतु किसी उच्च शिक्षा के शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों से मास्टर्स एवं पी.एच.डी. डिग्री को प्रदान करने हेतु आंशिक जरूरतों को पूरा करने के लिए समझौता ज्ञापन के माध्यम से अनुबंध कर सकता है।"

तदनुसार, मामले को सहयोग एवं सहभागिता के माध्यम से और अधिक विस्तारित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए जाते हैं :-

विश्वविद्यालय, पारस्परिक शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक लाभों के लिए देश के दूसरे विश्वविद्यालयों/वैश्विक विश्वविद्यालयों/संस्थानों/उद्योगों के साथ, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, नई दिल्ली तथा अन्य व्यवसायिक संस्थानों के साथ वर्त्तमान दिशा निर्देशों, नियमों एवं विनिमयों के अनुसार सहयोग अथवा सहभागिता कर सकता है। ऐसे सभी प्रस्ताव संबंधित विभागों के द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा विश्वविद्यालय के अधिवक्ता से कानूनी सहमति के उपरान्त कुलसचिव के विचारार्थ एवं सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनार्थ अग्रेषित किए जाएंगे। संबंधित सहयोग/सहभागिता उन सभी प्रक्रियाओं एवं विवरणों पर प्रकाश डालेगा जिसका अनुपालन किया जायेगा।

हालांकि, विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/ उद्योग/ वैश्विक संगठनों से सहभागिता हेतु विद्वत परिषद तथा प्रबंध बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

अतः, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अधिनियम, 2016 (2016 का 32) के खंड - 28(1) की उप-खंड (l) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) की पिछली मंजूरी के साथ ही मैं, कुलपति, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, एतद्द्वारा प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में विद्वान निकायों या संघों सहित अन्य विश्वविद्यालयों एवं प्राधिकरणों के साथ सहयोग के तरीकों से संबंधित प्रावधानों को जैसा की उपरोक्त विदित है, को अधिसूचित करता हूँ ।

पुन्यव्रत सुविमलेन्दु पाण्डेय, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./510/2023-24]

NOTIFICATION

Samastipur, the 16th August, 2023

ORDINANCE

No. 411/DRPCAU (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education as per resolution passed by the Board of Management in its 16th meeting held on 28.10.2021 has approved to make an Ordinance regarding the manner of co-operation and collaboration with other Universities and authorities including learned bodies or associations in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusavide No. 5-42/2021-CAU (e-4658) dated 31st July, 2023 as under:

Manner of Cooperation and Collaboration with Other Universities and authorities including learned bodies or associations

Section 42 of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 provides as under:

"The University shall have the authority to enter into an agreement through a Memorandum of Understanding with any research and for academic institution of higher learning to conduct collaborative Post-Graduate Research Programmes to fulfill the partial requirement for the award of Masters' and Ph.D. degrees of the University."

Accordingly, to further elaborate the matter the following rules are framed for the purpose of cooperation and collaboration:

The University may seek the cooperation and / or collaboration with other Universities of the Country/Global Universities/ Institutions/ Industry /Association for mutual Academic, Social Economic and Financial benefits according to the pertaining guidelines, rules and regulations etc. of the Central Govt. / State Govt. / UGC/DARE and other professional bodies. All such proposals shall be prepared by the respective departments and be forwarded to the Registrar for considerations and approval from the Competent Authorities and vetting by the Learned Counsel/Advocate. Concerned co-operation/collaboration shall highlight the procedures and details that shall be followed.

However, for collaboration with Universities/Institutions/Industry/Association at Global level, the approval of the Academic Council and Board of Management shall be obtained.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (l) of Section 28(1) of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 (32 of 2016) and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa do hereby make the first Ordinance and notify the manner of co-operation and collaboration with other Universities and authorities including learned bodies or associations/Industries in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa as above.

PUNYAVRAT SUVIMALENDU PANDEY, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./510/2023-24]

अधिसूचना

समस्तीपुर, 16 अगस्त, 2023

अध्यादेश

क्रमांक : 412**/डॉ.रा.प्र.के.कृ.वि.(भी.सी.), पूसा.**—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के दिनांक 28.10.2021 को सम्पन्न हुई 16वीं प्रबंध बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के द्वारा स्थापित महाविद्यालयों और संस्थानों के प्रबंधन के संबंध में पत्रांक 5-42/2021-सीएयू (ई-4658), दिनांक 31 जुलाई, 2023 के द्वारा अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (2016 का 32) के खंड 28 (1) की उप-खंड (o) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसके साथ जैसा कि ऊपर विदित है, केन्द्र सरकार की पिछली मंजूरी के साथ ही मैं, कुलपति, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, एतद्द्वारा प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा द्वारा स्थापित महाविद्यालयों और संस्थानों के प्रबंधन के संबंध में निम्न प्रावधान प्रस्तुत करता हूँ-

1. निम्नलिखित महाविद्यालय और संस्थान, विश्वविद्यालय की घटक इकाइयाँ होंगी -
   1. स्नातकोत्तर कृषि महाविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर)
   2. कृषि-व्यवसाय एवं ग्रामीण प्रबंधन महाविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर)
   3. तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली (मुजफ्फरपुर)
   4. मत्स्यकी महाविद्यालय, ढोली (मुजफ्फरपुर)

5. कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर)

6. आधार विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर)

7. सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर)

8. पंडित दीन दयाल उपाध्याय उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, पीपराकोठी, मोतिहारी, (पूर्वी चंपारण)

9. कोई अन्य महाविद्यालय जो भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये जाएँ

2. विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित निम्नलिखित शोध संस्थान हैं -

1. गन्ना अनुसंधान संस्थान, पूसा (समस्तीपुर)

2. पशु उत्पादन एवं शोध संस्थान, पूसा (समस्तीपुर)

3. क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, माधोपुर (पश्चिम चंपारण)

4. केला अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर (वैशाली)

5. अनुसंधान उपकेन्द्र, झंझारपुर (मधुबनी)

6. अनुसंधान उपकेन्द्र, बिरौल (दरभंगा)

7. कोई अन्य संस्थान जो भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये जाएँ

3. कृषि और सम्बद्ध विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा से संबंधित महाविद्यालय/अनुसंधान संस्थानों का अधिकार क्षेत्र और जिम्मेदारी निर्धारित क्षेत्रों जैसा की बताया गया है, तक विस्तारित होगी।

4. महाविद्यालय/संस्थान, प्रक्षेत्र प्रसार कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु कृषि और सम्बद्ध विज्ञान के क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्रों तथा अन्य अनुसंधान और प्रायोगिक केन्द्रों की स्थापना, विकास और संचालन तथा रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होंगे ।

5. सभी अनुसंधान और प्रायोगिक केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों और प्रशिक्षण केन्द्रों अथवा कृषि और सम्बद्ध विज्ञान से संबंधित अन्य संस्थान पूर्ण प्रबंधन और नियंत्रण के लिए संबंधित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय की प्रशासनिक उप-इकाइयाँ होंगी।

6. प्रत्येक महाविद्यालय की अध्यक्षता एक अधिष्ठाता करेंगे जो महाविद्यालय और उसकी अधीनस्थ इकाइयों के शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा कार्यक्रम के संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे ।

7. प्रत्येक अनुसंधान संस्थान/केन्द्र की अध्यक्षता, एक निदेशक/मुख्य वैज्ञानिक द्वारा किया जाएगा जो संस्थानों के साथ-साथ उसकी इकाइयों में अनुसंधान, प्रसार शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे।

8. महाविद्यालय के अधिष्ठाता कुलपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता, महाविद्यालयों/संस्थानों के शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में अंतर-विषयी कार्यक्रमों के बारे में, जैसा भी मामला हो, निदेशक शिक्षा, निदेशक अनुसंधान और निदेशक प्रसार शिक्षा के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे।

पुन्यव्रत सुविमलेन्दु पाण्डेय, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./510/2023-24]

NOTIFICATION

Samastipur, the 16th August, 2023

ORDINANCE

No. 412/DRPCAU (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education as per resolution passed by the Board of Management in its 16th meeting held on 28.10.2021 has approved to make an Ordinance regarding the management of colleges and institutions established by the University in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa vide No. 5-42/2021-CAU (e-4658) dated 31st July, 2023.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (o) of Section 28(1) of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 of (32 of 2016) the provision of the management of colleges and institutions established by the University of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa has been prescribed as follows:

1. The following colleges and Institutions shall be the constituent units of the University;

(1) Post-Graduate College of Agriculture, Pusa (Samastipur)

(2) School of Agri-Business and Rural Management, Pusa (Samastipur)

(3) Tirhut College of Agriculture, Dholi (Muzaffarpur)

(4) College of Fisheries, Dholi (Muzaffarpur)

(5) College of Agricultural Engineering & Technology, Pusa (Samastipur)

(6) College of Basic Sciences & Humanities, Pusa (Samastipur)

(7) College of Community Science, Pusa (Samastipur)

(8) PanditDeendayal Upadhyay College of Horticulture & Forestry, Piprakothi, Motihari (East Champaran)

(9) Any other College that may be established by the University in future.

2. The following Research Institutes established by the University:

(1) Sugarcane Research Institute, Pusa (Samastipur)

(2) Animal Production Research Institute, Pusa (Samastipur)

(3) Regional Research Station, Madhopur (West Champaran)

(4) Banana Research Institute, Hajipur (Vaishali)

(5) Research Sub-Station, Jhanjharpur (Madhubani)

(6) Research Sub-Station, Biraul (Darbhanga)

(7) Any other Institute that may bc established by the University in future.

3. With respect to teaching, research and extension education in the field of Agriculture and Allied Sciences, the jurisdiction and responsibility of the College/Research Institutes shall extend to the areas as prescribed.

4. The College/lnstitution shall be responsible for maintenance of training centre for Agriculture and allied sciences and such other research and experimental stations for the programme of training of field extension workers and in the establishment, development and operation of Agriculture and Allied Sciences.

5. All Research and Experimental Stations, KVKs and Training Centers or other Institutions relating to Agriculture and Allied Sciences shall be administrative sub-units of the respective College/Institutions/Faculty under its full management and control.

6. Each College shall be headed by a Dean who shall be responsible for the conduct of teaching, research and extension education programme of the College and its subordinate units.

7. Each Research Institute/Stations shall be headed by a Director/Chief Scientist who shall be responsible for the management of research, extension education and training programme of the Institutions as well as units.

8. The Dean of the College shall be responsible to the Vice-Chancellor. The Dean of the Colleges concerned will co-ordinate with the Director Education, Director Research and Director Extension Education as the case may be, about inter-disciplinary programmes with respect to teaching, research and extension education and training programmes of the College/lnstitutes.

PUNYAVRAT SUVIMALENDU PANDEY, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./510/2023-24]

अधिसूचना

समस्तीपुर, 16 अगस्त, 2023

अध्यादेश

क्रमांक : 413**/डॉ.रा.प्र.के.कृ.वि.(भी.सी.), पूसा.**—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के दिनांक 28.10.2021 को सम्पन्न हुई 16वीं प्रबंध बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में महिला छात्राओं के विशेष व्यवस्था के संबंध में, यदि कोई हो तो, जो महिला छात्राओं के निवास, अनुशासन और शिक्षण एवं डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में उनके अध्ययन हेतु विहित विशेष पाठ्यक्रम निर्धारित करने से संबंधित विषयों पर पत्रांक 5-42/2021-सीएयू (ई-4658), दिनांक 31 जुलाई, 2023 के द्वारा अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अधिनियम, 2016 (2016 का 32) के खंड - 28(1) की उप-खंड (i) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) की पिछली मंजूरी के साथ ही मैं, कुलपति, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, एतद द्वारा प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ और विशेष व्यवस्था, यदि कोई हो तो, जो डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के महिला छात्राओं के निवास, विषय और शिक्षण एवं उनके अध्ययन हेतु विशेष पाठ्यक्रम निर्धारण की शर्तों को, जैसा की उपरोक्त विदित है, को निम्नानुसार अधिसूचित करता हूँ :-

1. विश्वविद्यालय, संकाय परिषद/विद्वत परिषद की अनुशंसा तथा प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन से महिलाओं के लिए खास अथवा विशेष पाठ्यक्रम के संचालन हेतु विशेष व्यवस्था कर सकता है।
2. विश्वविद्यालय में महिला छात्रों के लिए अलग छात्रावास होगा जिसका रख-रखाव विश्वविद्यालय द्वारा उनके भोजन और आवास के लिए किया जाएगा।
3. ऐसे छात्रावासों में जहां तक संभव हो महिला वार्डन और छात्रावास अधीक्षक होंगी जिन्हें विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार महिला शिक्षकों में से रोटेशन के आधार पर चयनित कर बनाया जायेगा ।
4. विश्वविद्यालय द्वारा महिला छात्रों के लिए अनुशासनात्मक नियम पुरुष छात्रों के समान हीं होंगे।
5. महिला छात्रावासों में प्रवेश एवं रिश्तेदारों आदि से मिलने की अनुमति नियमों के अनुसार अनुरोध की योग्यता के आधार पर और छात्रावास अधीक्षक/वार्डन के आदेश लेने पर ही प्रदान किया जायेगा ।
6. विश्वविद्यालय, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय सहित महिला और पुरुष दोनों प्रकार के छात्रों को विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति देगा।
7. अन्य शर्तें विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विनियमों के अनुसार निर्धारित होंगी।

पुन्यव्रत सुविमलेन्दु पाण्डेय, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./510/2023-24]

NOTIFICATION

Samastipur, the 16th August, 2023

ORDINANCE

No. 413/DRPCAU (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education as per resolution passed by the Board of Management in its 16th meeting held on 28.10.2021 has approved to make an Ordinance regarding the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and the prescribing of special courses of studies for them in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa vide No. 5-42/2021-CAU (e-4658) dated 31st July, 2023.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (i) 28(1) of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 of (32 of 2016) and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr.Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa do hereby make the first Ordinance and notify the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa as follows :

1. The University may make special arrangement for women for their studies in particular or special courses on the recommendations of the Faculty Council/ Academic Council with the approval of the Board of Management.
2. The University shall have separate hostel for women students which shall be maintained by the University for their boarding and lodging.
3. Such hostels shall have women warden and Hostel Superintendent, as far as practicable from among the women teachers of the University and shall be selected on rotation and in accordance with rules framed.
4. The disciplinary rules adopted by the University shall be the same for women students as for men students.
5. Very restricted entry in the Women Hostels and permission to meet the relatives etc. shall be granted on the basis of the merit of the request as per rules and on taking orders of Hostel Superintendent/ Warden.
6. The University shall allow both women and men students for admission into various courses/ programme of the University including College of Community Science.
7. Others conditions shall be prescribed in the Academic Regulations of the University.

PUNYAVRAT SUVIMALENDU PANDEY, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./510/2023-24]

अधिसूचना

समस्तीपुर, 16 अगस्त, 2023

अध्यादेश

क्रमांक : 414**/डॉ.रा.प्र.के.कृ.वि.(भी.सी.), पूसा.**—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के दिनांक 28.10.2021 को सम्पन्न हुई 16वीं प्रबंध बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक रचनातंत्र स्थापित करने के संबंध में पत्रांक 5-42/2021-सीएयू (ई-4658), दिनांक 31 जुलाई, 2023 के द्वारा अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है जो निम्नवत है :-

(क) कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के एक पदाधिकारी को दो वर्ष की अवधि के लिए शिकायत पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा।

(ख) संबंधित कर्मचारियों (शैक्षणिक, अनुसचिवीय एवं तकनीकी) को यदि विश्वविद्यालय से कोई शिकायत है तो वे सभी पुष्टिकारक लेख्य पत्रों के साथ विश्वविद्यालय शिकायत पदाधिकारी को अभ्यावेदन दाखिल करेंगे।

(ग) शिकायत पदाधिकारी संबंधित संस्थानों/अनुभागों के प्रधान को एक अनुरोध के साथ अभ्यावेदन को अग्रसारित करेंगे कि यदि यह मामला नियमानुकल है तो इसकी जाँच कर मामले का समाधान करें और शिकायत पदाधिकारी को पूर्ण प्रमाणिकता के साथ एक प्रतिवेदन समर्पित करें।

(घ) कुलपति द्वारा एक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे-

(i)	दो वर्ष की अवधि के लिए कुलपति द्वारा नामित अधिष्ठाता/निदेशकों में से कोई एक	-	अध्यक्ष
(ii)	कुलसचिव	-	सदस्य
(iii)	नियंत्रक	-	सदस्य
(iv)	उप-कुलसचिव (स्थापना)	-	सदस्य
(v)	शिकायत पदाधिकारी	-	सदस्य सचिव
(vi)	समिति के अध्यक्ष के द्वारा शिकायत के मामले से सम्बंधित संस्था के अध्यक्ष को सहयोजित कर सकते हैं।	-	वैकल्पिक सदस्य

(ङ) वैसे सभी मामले जिनका शिकायत पदाधिकारी के स्तर से निराकरण नहीं होता है उसे समिति के समक्ष रखा जाएगा।

(च) जरूरत के अनुसार शिकायत करने वाले सम्बंधित कर्मचारी को भी व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहने के लिए मौका दिया जाएगा।

(छ) शिकायत समिति की बैठक महीनें में एक बार होगी।

(ज) समिति के प्रतिवेदन को कुलपति के समक्ष रखा जाएगा।

(झ) अन्य पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/जन जाति/महिला कर्मचारी के शिकायतों का निराकरण संबंधित कोषांग द्वारा किया जाएगा।

अतः, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अधिनियम, 2016 (2016 का 32) के खंड - 28(1) की उप-खंड (p) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) की पिछली मंजूरी के साथ ही मैं, कुलपति, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, एतद्द्वारा प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक रचनातंत्र की स्थापना से संबंधित प्रावधानों को जैसा की उपरोक्त विदित है, को अधिसूचित करता हूँ ।

पुन्यव्रत सुविमलेन्दु पाण्डेय, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./510/2023-24]

NOTIFICATION

Samastipur, the 16th August, 2023

ORDINANCE

No. 414/DRPCAU (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education as per resolution passed by the Board of Management in its 16thmeeting held on 28.10.2021 has approved to make an Ordinance regarding the setting up of a mechanism for redressal of grievances of employees

of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pasavide No. 5-42/2021-CAU (e-4658) dated 31st July, 2023 as under:

(a) An Officer of the University shall be nominated as Grievance Officer by the Vice-Chancellor for a period of two years.

(b) The concerned employees (teaching, ministerial and Technical), have any grievance(s) with the University he/she will file a representation with all supporting documents to the Grievance Officer of the University.

(c) The Grievances Officer shall forward the representation to the concerned Head of the Institutions/Sections with a request to examine and settle the issue if it is under rules and submit a report with full justification to the Grievance Officer.

(d) A Grievance Committee shall be constituted by the Vice-Chancellor consisting of the following:

(i) One of the Deans/Directors to be nominated by the Vice-Chancellor for a period of two years-as -Chairman.

(ii) Registrar-Member

(iii) Comptroller-Member

(iv) Deputy Registrar(Estt.)- Member

(v) Grievances Officer-Member-Secretary

(vi) The Chairman of the Committee may co-opt the head of the institution from where the matter pertains.

(e) All those matters which could not be settled at the level of Grievances Officer shall be placed before the Committee.

(f) The concerned employees will also be given the chance to be heard in person if so required.

(g) The meeting of the Grievances Committee shall be held once in a month.

(h) The report of the Committee shall be placed before the Vice-Chancellor.

(i) For grievances related to OBC/SC/ST/Women employees, it will be dealt by respective cells.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (p) of Section 28(1) of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 (32 of 2016) and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr.

Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa do hereby make the first Ordinance and notify setting up of a mechanism for redressal of grievances of employees in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa as above.

PUNYAVRAT SUVIMALENDU PANDEY, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./510/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.27 21:54:33 +05'30'